

**एक नजर**

**अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत अभी जेल में ही रहेंगे**



**नई दिल्ली (आभा)।** दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बंदी राहत मिली है, इंडी बाले मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 3 उजाले वाला बेंच को भेज दिया है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने इंडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। भले ही केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है लेकिन उनपर केंस चलता रहेगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अरविंद केजरीवाल को वेतन मिली है, लेकिन मुकदमा खारिज नहीं हुआ है, इस कारण मुख्यमंत्री केजरीवाल पर मुकदमा चलता रहेगा। इसी बीच दिल्ली भाजपा ने विजिली के मुद्दे पर आप सरकार के खिलाफ विद्रोह मार्च निकाला। इस दौरान भाजपा के नेता आरपी सिंह ने कहा कि 'जामा एजेंसी और न्यायपालिका के बीच का निर्णय है, और अंतरिम वेतन मिलने का मतलब वे नहीं होता कि आप अपराध। मुक्त हो गए हैं।'

मालूम हो कि उच्चतम न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को शर्तिका पर इंडी की गिरफ्तारी को शर्तिका से संबंधित तीन साल उभार, मामला बंदी पीठ के पास भेजा। आप नेता संजय सिंह ने शुक्रवार को आबकारी नीति घोटाला मामले में इंडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जश्न मनाया, उन्होंने लिखा, 'मोदी जी, झूठे मामले दर्ज करके सच्चाई को कब तक कहे रहेंगे?' पूरा देश आपकी तानाशाही देख रहा है, चाहे इंडी कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, सभी का मानना है कि केजरीवाल को इंडी ने बंदी मामले में फंसाया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सच्चाई की जीत है।


**स्मृति इरानी के बचाव में आगे आये राहुल गांधी**



**नई दिल्ली (आभा)।** लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेठी से पूर्व सांसद स्मृति इरानी को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही टिप्पणी पर नाखुशी जहरी की है। उन्होंने एक्स पर कहा कि जीत और हार जीतना का हिस्सा है। मैं सभी से अपील करता हूँ स्मृति इरानी को खिलाना किसी भी तरह की अपमानजनक भाषा का प्रयोग न करें। किसी को बेइज्जत और शर्मसार करना कमजोर लोगों की निशानी है ताकतवर होने की नहीं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ऐसा न करें। बता दें कि भाजपा नेता स्मृति इरानी मोदी सरकार के पहले दो कार्यवाहकों में मंत्री रह चुकी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में राहुल गांधी को हारने के बाद उनका कद काफी बढ़ गया था। हालांकि, 2024 के चुनाव में कांग्रेस के शीर्ष संसद के करीबी मिथानी लाल शर्मा ने नभूते उम्मेद करारी हार का सामना करना पड़ा। नई सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह भी नहीं मिली।

पूर्व केंद्रीय मंत्री को अपना सरकारी आवास खाली करना पड़ा है जिसके बाद से वह सोशल मीडिया पर लगातार निशाने पर हैं। इसे लेकर राहुल गांधी ने एक्स पर टिप्पणी की है।

**25 जून संविधान हत्या दिवस घोषित**



**नई दिल्ली (आभा)।** केंद्र सरकार ने 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाने का एलान किया है। इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से युवाकार को नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसमें कहा गया, 25 जून 1975 को आपदा की घोषणा की गई थी। इसके बाद उरुता समय की सरकार की ओर से सत्ता का धोरण दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों पर ज़्यादातीव और अत्याचार किए गए। जबकि, भारत के लोगों को भारत के संविधान और भारत के मजबूत लोकतंत्र पर दृढ़ विश्वास है। इसलिए, भारत सरकार ने आपदाकाल की अवधि के दौरान सत्ता के धोरण दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' घोषित किया है।

**निर्धारित संवदादा-बस्ती में लक्ष्य पूरा करें अधिकारी-डीएम**

—भारतीय बस्ती संवदादा-बस्ती। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में सीएम डेबोबांड पर आधारित शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता कार्यक्रम व निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्टर सभागार में किया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने विभाग के अधिकारियों को निर्दिष्ट किया कि अपने-अपने विभागों की योजनाओं/कार्यक्रमों के लक्ष्य को निश्चित समय-सीमा में अग्रिम पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी शासन के विकास प्राथमिकताओं/कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दें। इसमें किसी प्रकार की स्थितिगत बाधाएं या बाधक नहीं बनीं। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों अपने विभाग के कार्यों की स्वयं समीक्षा करें एवं प्रगति में सुधार लायें। जिलाधिकारी ने शासन की विकास प्राथमिकताओं/कार्यक्रमों की विभागावार/योजनावार समीक्षा के दौरान, देत कीजिये योजना सहित

**भाजपा ने शुरु किया मतदाता अभिनन्दन समारोह**



—भारतीय बस्ती संवदादा-बस्ती। लोकसभा चुनाव परिणाम पूर्व तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए जाने के बाद भाजपा ने किसानसभा सहित मतदाता अभिनन्दन समारोह का आयोजन किया। समारोह के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को मालाएं चढ़ कर सम्मानित किया गया। भाजपा नेता अजय कुमार वर्मा ने बताया कि बस्ती लोकसभा चुनाव में भाजपा को सफलता नहीं मिली इसके बावजूद भी भाजपा अपने वोटों को सहेजने में कोई करार नहीं उठाएंगी। बस्ती लोकसभा चुनाव में भाजपा को कुल लगभग 4 लाख 26 हजार वोट मिले। इन वोटों का सम्मान करने के लिए भाजपा किनासावार भार मतदाता अभिनन्दन समारोह का आयोजन कर रही है। दो दिवस में प्रतिवह यह कार्यक्रम 12 जुलाई को किसानसभा क्लबों के सदस्यों ब्याक सभागार में, कर्मचारियों व बगवान समान में संचयन हुआ, 13 जुलाई को बस्ती सचर में अटल बिहारी प्रसाद सिंह और नरसिंह पाण्डेय का शिवा शक्ति मंजुष हाल कुदरदा में शिवा शक्ति मंजुष हाल कुदरदा में सहाय कार्यक्रमों और मतदाताओं का लोकसभा चुनाव में

**कुछ सभासदों का आक्रोश स्वाभाविक, मिल बैठकर होगा समस्याओं का समाधान- नेहा वर्मा**

**—अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति के लिये जारी है प्रयास**

नेहा वर्मा ने कहा कि कार्य भार सभाले के बाद से ही उनका प्रयास रहा है कि नगरकोष को जो वायदे लिये गये हैं उस अनुकूल कार्य शरारत पर करणया जाय। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बस्ती आगमन पर उन्हें सीधे लाने, सड़कों के निर्माण और भीषण नर में मटेरीलेकल पाईकंग का निर्माण करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है जिस पर मुख्यमंत्री जी ने शीघ्र पहल का आश्वासन दिया गया है। अध्यक्ष नेहा वर्मा ने कहा कि

को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय किया है। यह दिन उन सभी लोगों के विरुद्ध योगदान का स्मरण करणया जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अन्वयेगीय दर्द को झेला था।

अमित शाह ने अपनी पोस्ट में आगे कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ओर से लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य उन लाखों लोगों के संघर्ष का सम्मान करना है, जिन्होंने तानाशाही सरकार की असंख्य यातनाओं व उरुतीडन का सामना करने के बावजूद लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष किया। संविधान हत्या दिवस हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर

माप, श्रम, नगरपालिका, विद्युत्, चकवटें, भू-राजस्व, सामाजिक बाणिकी, मण्डी सहित अन्य विभागों की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लक्ष्य के साक्ष्य शतप्रतिशत वसूली करना सुनिश्चित करें। बैठक में विद्युत्, वाणिज्यकर विभाग द्वारा वसूली कुमुप वाने जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त किया है।

बैठक में सीडीओ जयदेव सीएस, आर जिलाधिकारी प्रियादेवी चौहान, जवाहर मजिस्ट्रेट शाहिद अहमद, डीपी रावला, ए.एस.डी.आर आशुतोष शर्मा, डीपी नररंगा संजय मण्डल, उपायुक्त उमंग हरन्द प्रसाद, सेवायोजन अधिकारी अखेंदर वर्मा, आबकारी अधिकारी, ए.एस.डी.ओ पंकज कुमार, बीएसए अनूप तिवारी, डीपीआरओ राज कुमार, मुख्य प्राथमिकताधिकारी डा. राजेश त्रिपाठी, पीओ कुडा सुनीता सिंह, ए.एस.एन आरुष भट्टाचार्य, संबंधित सहलोकदार सहित संबंधित अधिकारियों उपस्थित रहे।

**लोकतंत्र में मतदाता सर्वोपरि- हरीश द्विवेदी**

दिए गए योगदान को लेकर आभार व्यक्त किया। बरिष्ठ प्रबुद्ध मतदाताओं को निवर्तमान सांसद हरीश द्विवेदी और जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र ने मनावा अंशवर पहना कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में क्रमवार हजारों मतदाता सम्मानित हुए। निवर्तमान सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है। यहां मतदाता ही सर्वोपरि है। मतदान से ही सरकारें बनती हैं। मतदाता ही तय करते हैं कि किस देश की सरकार देश और प्रदेश की उन्नति और विकास की गति को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। विश्व पर हमला बोलते हुये कहा साथ और कांग्रेस ने संविधान के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम किया। आपातकाल के हालातों को लेकर भी कांग्रेस पर हमला बोला। कहा भाजपा का एक एक कार्यक्रम लोकसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है। निवर्तमानों से भी संतुष्ट जय ही निशाने हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में सरकार बनने पर मतदाताओं का अभिनन्दन किया। वितायुध विवेकानन्द मिश्र ने कहा कि भाजपा विरुध की सबसे बड़ी पाठकी है। कार्यवाहकों की पीठ है। उन्हें अतिके ही मेहनत न पूरे देश में रंग लाई है। अपने वाले वित्तानराम में हम भारी बहुमत से फिर सरकार बनायेंगे। लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेकर

**नेपाल में गिरी पुष्प कमल दहल सरकार**

काठमाण्डू (आभा)। नेपाल की राजनीति में बड़ी हलचल मच गई है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इस्तीफा दे दिया है और पी शर्मा ओली का नया पीएम बनना लगभग तय हो गया है। संसद में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने विश्वास मत खाया दिया। दरअसल, सीपीएम-यूएमएल ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। 275 सदस्यों वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव (एचओआर) में प्रचंड के विश्वास



मत के खिलाफ 194 और समर्थन में 63 वोट पड़े। विश्वास मत हासिल करने के लिए 138 मतों की आवश्यकता थी।

**नीट परीक्षा में घांधली, पेपर लीक के सवालों को लेकर राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन**

—भारतीय बस्ती संवदादा-बस्ती। शुक्रवार को बहुजन मुक्ति पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने आये दिन होने वाले पेपर लीक और नीट परीक्षा में घांधली के सवाल को लेकर बहुजन मुक्ति पार्टी युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष चन्द्र प्रकाश गोतम के नेतृत्व में शास्त्री चौक पर धरना दिया गया। धरने के बाद जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर समस्याओं के निस्तारण की मांग किया गया।



धरने को बहुजन मुक्ति पार्टी के मध्यम अख्य हृदय गोतम, आर. के. आरविन्द ने सम्पन्न किया। कहा कि पेपर लीक के कारण युवाओं का भविष्य धोएट हो रहा है। इसे तत्काल रोक जाय।

**जूनियर शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन, ऑन लाइन हाजिरी का फैसला वापस ले सरकार**

—भारतीय बस्ती संवदादा-बस्ती। शुक्रवार को उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष अम्बिका पाण्डेय के नेतृत्व में जिला अधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी सुनिधा सिंह को मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन सौंपा। मांग किया जा रहा है ऑन लाइन डिजिटलाइजेशन के निर्णय को वापस लिये जाये के साथ ही शिक्षक समस्याओं का प्रभावी निस्तारण करणया जाय।



जानपद स्तर की समस्याओं को निस्तारित किया जाने आदि की मांग शामिल है।

जानपद स्तर की समस्याओं को निस्तारित किया जाने आदि की मांग शामिल है।

**कुछ सभासदों ने किया नगर पालिका परिषद बोर्ड की बैठक का बहिष्कार, लगाये गंभीर आरोप**

—भारतीय बस्ती संवदादा-बस्ती। शुक्रवार को नगर पालिका परिषद बोर्ड की बैठक को हंगामे के चलते स्थगित कर दिया गया। कुछ सभासदों ने समसदय रथेश कुमार गुप्ता, गौतम वाघरे, राजन ठाकुर, पंकज चौधरी, कृष्ण कुमार चौधरी के नेतृत्व में नगर पालिका में मन्मानी का गंभीर आरोप लगाते हुये बोर्ड की बैठक का बहिष्कार कर दिया। नाराज सभासदों का कहना है कि नगर पालिका अध्यक्ष नेहा वर्मा की जगह उनको जेठ विवेक वर्मा काम काज देखते हैं और 25 लाख के योजनाओं का मनमाने तरीके से वितरण करणया जाता है। कुछ वार्डों में सदाधिकार धन के प्रस्ताव स्वीकृत होते हैं तो कई वार्ड अछूते रह गये हैं। इसे बदरगत नहीं किया जायेगा। आखिर सभासद अपने वार्डों में जनता को क्या भुह दिखायें। नगर पालिका के अतिरिक्त अधिकारी तक की तैनाती नहीं करणया गया।



कुमार चौधरी आदि ने कहा कि बरसात के दिनों में अनेक वार्डों में नालियों की साफ-सफाई नहीं हो पा रही है। वार्डों में जल जमाव है। नगरपालिका को कतिपय वार्डों का सम्मान करना पड़ रहा है। कई वार्डों को रोटीयों में जल पिछले एक वर्ष नहीं आया है। अनेकों बार शिकायत की गई किन्तु समस्याओं का सम्मान नहीं हो पा रहा है। पटेल सदासदों द्वारा कार्यों को ठीक ठीक से नहीं किया जाता। मांग किया कि सभी 25 वार्डों में विकास कार्यों के सम्मान करने वाले रथेश कुमार गुप्ता, कृष्ण

समी 25 वार्डों के समुचित विकास, नाली, खण्डना निर्माण, साफ-सफाई प्रकाश व्यवस्था आदि का कार्य करणया जाता है। अधिशासी अधिकारी द्वारा कार्यभार न सभाले जाने को लेकर सभासदों का गुस्सा स्थायिक है। कहा कि उत्तरका पूर्वा प्रयास है। अहदाधिकारियों को दूर करने के साथ ही प्रभावी ढंग से अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति सुनिश्चित वाकिये विकास कार्यों को गति दी जा सके। सभी वार्डों का समुचित आरंभ संतुष्टित विकास उरुकी प्राथमिकता है। कहा कि सभासदों की नाराजगी को मिल बैठकर दूर कर लिया जायेगा। अति शीघ्र पुनः बोर्ड की बैठक बुलाई जायेगी।



माध्यम से पालिका अध्यक्ष नेहा वर्मा

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का निष्पाक है और कौन कानून का निर्माता"-वेडेल फिलिप्पा

# दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 13 जुलाई 2024 शनिवार

## सम्पादकीय

### भरण पोषण का अधिकार

देश की शीर्ष अदालत ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में नई पहल की है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मुस्लिम महिलाएं भी सीपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार हैं। न्यायमूर्ति वीवी नागराला और न्यायमूर्ति ऑगस्टेन जॉर्ज मसीहे ने इस सिद्धांत की व्याख्या की कि भरण-पोषण किसी तरह का दान नहीं बल्कि सभी विवाहित महिलाओं का मौलिक अधिकार है। अब चाहे महिला किसी भी धर्म की क्यों न हो। दरअसल, अदालत का फैसला तेलंगाना के मोहम्मद अब्दुल समद की अपील के जवाब में आया है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने भी इसी तरह का फैसला दिया था, जिसे शीर्ष अदालत ने बरकरार रखा। अब्दुल समद ने तेलंगाना उच्च न्यायालय को फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि एक तलाक़शुदा महिला केवल मुस्लिम महिला (तलाक़ पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत ही भरण-पोषण की मांग कर सकती है। शीर्ष अदालत ने उसकी अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट का मानना था कि धारा 125 देश की सभी महिलाओं पर लागू एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि यह फैसला ऐतिहासिक शाह बानो प्रकरण की याद ताजा करता है। इस मामले में शीर्ष अदालत ने धारा 125 के तहत एक तलाक़शुदा मुस्लिम महिला के भरण-पोषण के अधिकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। यह फैसला 1986 के उस अधिनियम के बावजूद था, जिसमें इस अधिकांश को सीमित करने के प्रावधान किये गये थे। बहरहाल, अदालत का हालिया फैसला धारा 125 की स्थायी स्वीकार्यता को सिद्ध करता है। यह भारतीय न्यायतंत्र की खूबसूरती ही है कि अधिनियम के विकास और उसके बाद के न्यायिक उदाहरणों ने तलाक़शुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकारों का उत्तरांतर विस्तार ही किया है। निस्संदेह, शीर्ष अदालत का फैसला महिलाओं को उनके न्यायविरुद्ध अधिकार दिलाने तथा संरक्षण की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है।

बहरहाल, अदालत ने इस फैसले के जरिये यह संदेश देना का प्रयास किया है कि जब 21वीं सदी में सर्वांगीण विकास व सभ्यता के समृद्ध होने का दावा करते हैं तो महिलाओं के अधिकारों को लेकर भी हमारी सोच प्रगतिशील होनी चाहिए। उनके प्रति संकीर्ण मानसिकता को चलाते ही महिलाओं की स्थिति में अपेक्षित बदलाव नहीं हो पाया है। अदालत का नवीनतम निर्णय विकास क्रम के अनुरूप यह सुनिश्चित करता है कि देश में किसी भी धर्म की महिला अपने अधिकारों से वंचित न रहे। साथ ही यह भी कि विवाह विच्छेद के बाद भी महिला को भरण-पोषण के लिये आर्थिक सहायता पाने का अधिकार है। निस्संदेह, अदालत ने भारत में लैंगिक न्याय और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। यह फैसला न केवल संवैधानिक सिद्धांतों को कायम रखता है बल्कि मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को भी मजबूत करता है। साथ ही यह फैसला भविष्य के मामलों के लिये भी एक मिसाल स्थापित करता है। इस फैसले ने मानवीय पक्ष यह भी है कि यदि तलाक़शुदा महिला का आय का कोई नियमित जरिया नहीं है तो भरण-पोषण के लिये आर्थिक मदद न मिल पाने से उसके जीवन-यापन का संकट बड़ा हो जाता है। विडंबना यह है कि भारत में मायके पक्ष के सक्षम होने के बावजूद तलाक़शुदा बेटी को साथ रखने को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। जिससे तलाक़शुदा बेटियों का जीवन-यापन दुष्कर हो जाता है। ऐसी महिलाओं के जीवन में यह फैसला एक नई रोशनी बनकर आया है। निस्संदेह, फैसला स्वागतयोग्य है और इसके दूरगामी गहरे निहितार्थ भी हैं। पिछली राजग सरकार के दौरान बने तीन तलाक़ कानून ने भी मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया था। यह फैसला देश की सोच में आए बदलाव का भी प्रतीक है। करीब चार दशक पहले शाह बानो केस में कोर्ट के ऐसे ही प्रगतिशील फैसले को तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने अपनी विधायी शक्ति से पलट दिया था। जिसके बाद देश में ध्व्वीकरण की राजनीति को बल मिला था। निस्संदेह, चार दशक बाद अब भारतीय समाज में लैंगिक समानता को लेकर सोच में व्यापक बदलाव आया है।

# बजट पर टिकी मध्यम वर्ग की निगाहें



-डा. जयंतीलाल भंडारी-



मंत्रालय में वित्त मंत्रालय के अध्यक्ष नर्मला सिठारमन की अध्यक्षता में बैठक के दौरान।

इन दिनों पूरे देश के साथ-साथ दुनिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की निगाहें 23 जुलाई को पेश किए जाने वाले वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट की ओर लगी हैं। हाल ही में आर्य वैश्विक ब्रोकरेज कंपनी मार्गन स्ट्रैटजी की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के नए बजट में राजस्व व्यय के मुकाबले फूलीगत खर्च पर जोर रहेगा और इससे मध्यम वर्ग लाभान्वित होते हुए दिखाई दे सकता है। साथ ही इसमें 2047 तक विकसित भारत के लिए खाका और राजकोपीय मजबूती के लिए मध्यम अवधि की योजना का पक्ष भी शामिल है। नए बजट के जरिये मध्यम वर्ग की क्रयशक्ति बढ़ाकर मांग में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था को गतिशील करने की रणनीति पर आगे बढ़ा जा सकता है।

मध्यम वर्ग को राहत देने को लेकर लगातार मांग तेज हुई है। विगत वर्षों में जहां गरीब वर्ग के लिए राहतों का ऐलान किया गया, वहीं कॉर्पोरेट जगत पर भी ध्यान दिया। लेकिन राहत पाने के मामले

में सबसे अधिक टैक्स देने वाला मध्य वर्ग पीछे छूट गया। 18वीं लोकसभा चुनाव के मतदान में मध्य वर्ग की नाराजगी भी दिखाई दी है। पिछले दिनों प्रगतिशील के संकेतों में जिक्र था कि मध्यम वर्ग के कुछ बचत बढ़ा सकें तथा इस वर्ग के लोगों की जिंदगी को कैसे आसान बनाया जा सके, इस परिच्छेद में रणनीति पूर्वक आगे बढ़ा जाए।

गौरतलब है कि इस पूर्ण बजट 2024-25 के समग्र आयकर संबंधी मजबूत परिदृश्य मजबूत है। पिछले 10 वर्षों में आयकर रिटर्न भरने वाले आयकरदाताओं की संख्या और आयकर की प्राप्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साल 2023-24 में आयकर रिटर्न रिक्तों 8 करोड़ के स्तर को पार कर चुका है और वीते 10 लाख में आयकर रिटर्न भरने वाले लोगों से अधिक हुए हैं। आयकर विभाग द्वारा जारी अंकुश के मुताबिक, वर्ष 2013-14 में आयकर संग्रह करीब 2.38 लाख करोड़ रुपये था। यह

तहत 2.5 लाख से तीन लाख की छूट दी जा सकती है। इसी तरह इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80डी के तहत कर कटौती की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। 80डी के तहत हेल्थ इश्योरस प्रीमियम पर टैक्स छूट बढ़ सकती है ताकि टैक्सवेयर हेल्थ इश्योरस को लेकर प्रेरित हो। इसके साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सीमा बढ़ाई जाने से लोगों को स्वास्थ्य बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। वहीं पीपीएफ में योगदान की वार्षिक सीमा को मौजूदा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया जा सकता है।

निस्संदेह देश में कर सुधारों से आयकर संग्रहण में आशातीत वृद्धि हुई है। लेकिन अभी आयकर के दायरे में इजाफा किए जाने की बड़ी संभावना है। जहां वर्ष 2024-25 के बजट से आयकर राहत दी जा सकती है, वहीं बजट में आयकर के दायरे का विस्तार करने की नई योजनाओं का प्रस्ताव है। महत्वपूर्ण यह भी कि बड़ी संख्या में उद्योग-कारोबार सेक्टर में कार्यरत रहते हुए कमाई करने वाले, मगरी व विलासिता की वस्तुओं का उपयोग करने वाले तथा पर्यटन के लिए विशेष यात्राएं करने वालों में से बड़ी संख्या में लोग या तो आयकर न देना का प्रयास करते हैं या फिर बहुत कम आयकर देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले एक वर्ष में करीब 25 लाख लोगों ने 10 लाख रुपये से ज्यादा मगरी कर खरीदी, करीब 25 लाख लोगों ने 50 लाख रुपये से अधिक कीमत के महंगे घर खरीदे वहीं वर्ष 2022 में देश के करीब 2.16 करोड़ लोगों ने पर्यटन के मद्देनजर

## बढ़ते सड़क हादसों का जिम्मेदार कौन...?



-रोहित माहेश्वरी-



जल्मी की ओर रहे हैं। पिछले एक दशक में ही भारत में लगभग 14 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए हैं।

जल्मी की ओर रहे हैं। लेकिन ऐसे कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं, जिन्होंने सड़क हादसों पर प्रभावी ढंग से लगाम लगे।

तेज गति और नशा करके वाहन चलाने, गलत तरीके से ओवरटेकिंग करने, मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने और सड़क पर गड़ों के कारण सड़क हादसे ज्यादा हो रहे हैं (यातायात नियमों का पालन नहीं हो रहा है)। इसकी एक वजह भ्रष्टाचार भी है। नागरिकों में भी जागरूकता की कमी है। खासकर युवा अस्थायित रूप से वाहन चलाते हैं। सड़क बनाने में भ्रष्टाचार होने और लापरवाही के कारण सड़क जल्दी टूट जाती है। सड़क पर बने गड़ों हादसे की वजह बनते हैं।

देश में ये आ रहा है कि यातायात पुलिस लाइसेंस को लेकर सख्त नहीं है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने वालों पर भारी जुर्माने का प्रस्ताव होना चाहिए। लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को थोड़ा सख्त बनाना चाहिए ताकि अपाय लोग लाइसेंस न बन पाए। ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक प्रतिष्ठित परीक्षा आयोजित की जाना चाहिए ताकि सभी नियमों और संकेतकों की जानकारी वाहन चालक को हो।

भारत में कई ड्राइवर यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं और लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, जिससे वे खुद और दूसरों को जोखिम में डालते हैं। साथ ही लोगों को सड़क दुर्घटनाओं यातायात नियमों का पालन करने के लिए लगातार सुनाने चलाते की आवश्यकता है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने के साथ कोर्ट सजा भी आवश्यक हो।

भारत में कई ड्राइवर यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं और लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, जिससे वे खुद और दूसरों को जोखिम में डालते हैं। साथ ही लोगों को सड़क दुर्घटनाओं यातायात नियमों का पालन करने के लिए लगातार सुनाने चलाते की आवश्यकता है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने के साथ कोर्ट सजा भी आवश्यक हो।

देश में कई ड्राइवर यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं और लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, जिससे वे खुद और दूसरों को जोखिम में डालते हैं। साथ ही लोगों को सड़क दुर्घटनाओं यातायात नियमों का पालन करने के लिए लगातार सुनाने चलाते की आवश्यकता है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने के साथ कोर्ट सजा भी आवश्यक हो।

## पीडीए बनाम डीपीए की राजनीति



-कमलेश पाण्डेय-

उत्तरप्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश के तहत के पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक समीकरण यानी पीपीए की अप्रत्याशित सफलता के बाद उसकी असरदार काट भी भारतीय जनता पार्टी ने टूट ली है और जयवादी दलित-पिछड़ा-अंगड़ा समीकरण यानी डीपीए का स्वर बुलंद कर दिया है। समाज जा रहा है कि देश को युद्ध विधीय पीपीए देने वाले यूपी से युद्ध विधीय बनाम डीपीए की गंभीर जांच दे-सबसे हिंदी भाषी राज्यों से होते हुए गैर हिंदी भाषी राज्यों तक पहुंच जायगी और विस्थापित पर अपनी गहरी छाप छोड़ेगी।

राजनीतिक विरलेषक बताते हैं कि एक तरफ सामाजिक न्याय आंदोलन (मंडल आंदोलन) से निकली समाजवादी पार्टी ने अपनी पीडीएम के सहारे जहां अपने पुराने वोट बैंक को फिर से सहेजते हुए हासिल कर ली है, वहीं, दूसरी तरफ राष्वादाय और हिंदुत्व (कमंडल आंदोलन) से मजबूत हुई भाजपा अपनी उदार राजनीतिक विचार के हाथिया अडका खाने के बाद फिर से संतुलन के लिए अपने पुराने वोट बैंक को सहेजने के प्रयास डीपीए के मार्फत तेज कर चुकी है।

वर्षों के कि अका तम अंगुठों व दलितों की सीमित उपेक्षा करके ओबीसी को बढ़ावा देने वाली और परमादा अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए अल्पसंख्यक दलों वाली भाजपा को जब आम चुनाव 2024 में यूपी समेत कई राज्यों में रणनीतिक अडका लगी तो उसका ओबीसी वाला सुरक्षित को बढ़ावा देने और अब तक का सारा सिपायी मुकुर बनाना शुरू हो गया। क्योंकि उत्तरप्रदेश जैसे अल्पसंख्यक में ही उसकी स्थिति विकासवादी समझी जाती है, जबकि यहां पर उसकी एक मजबूत सरकार है, जिसका नेतृत्व फायर ब्राड हिन्दू नेतृत्व व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं।



